(83)

2854

कार्यालयः—मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल

जी0बी0पन्त चिकित्सालय परिसर, तल्लीताल, नैनीताल।
Email-nainitalcmo1@gmail.com
दूरभाष संख्या-05942-235285

पत्रांकः बायो मेडिकल वेस्ट/2019-20/ 8845 दिनांक 18.10.2019
19.10.19

सेवा मे

1. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम/द्वितीय/ तृतीय, नैनीताल
2. औषधि निरीक्षक, जनपद नैनीताल

विषयः-बायो मेडिकल वेस्ट व उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2016 के संबंध मे।

महोदय,

जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने अपने पत्रांक 866/29-ए0आर0ए0/2019 दि0 10.10.2019 द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट नियमावली 1998 (यथा संशोधित 2016/2018) एवं उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2016 का अनुपालन एवं चिकित्सीय संस्थानों में जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन की स्थिति के निरीक्षक/ विधिक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार परगना समिति का गठन किया गया है:-

1. नगर मजिस्ट्रेट/संबंधित उपजिलाधिकारी, जनपद नैनीताल
2. संबंधित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद नैनीताल
3. संबंधित अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त, स्थानीय निकाय जनपद नैनीताल
4. संबंधित पशु चिकित्साधिकारी जनपद नैनीताल
5. संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी जनपद नैनीताल
6. क्षेत्रीय प्रदूषण नियत्रंण अधिकारी/नामित सदस्य
7. संबंधित औषधि निरीक्षक, जनपद नैनीताल

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने-अपने क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(भारती राणा)
मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल
तद्दिनांक

पत्रांकः बायो मेडिकल वेस्ट/2019-20/ 8846
प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(भारती राणा)
मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल

पत्र सं0:– 25 /रीडर/2019 दिनांक 18.10.2019

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।

पुलिस क्षेत्राधिकारी, भवाली/नैनीताल

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका
नैनीताल/भवाली/भीमताल।

पशु चिकित्साधिकारी,
नैनीताल/भवाली/भीमताल।
द्वारा:– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल।

औषधि निरीक्षक, नैनीताल।
द्वारा:– मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 860/29–ए.आर.ए/2019 दिनांक 10.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सकीय संस्थानों में जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio Medical Waste) के उचित प्रबन्धन की स्थिति के निरीक्षण/विधिक कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है तथा आप समस्त उक्त गठित समिति के सदस्य हैं।

जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में कल दिनांक 19.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे एक बैठक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी है। अतः उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार)
उपजिलाधिकारी
नैनीताल।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक में अपने प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

2/89

आदेश

विगत दिवसों से वायरल इत्यादि के प्रभाव से यह दृष्टिगत हो रहा है कि चैदानिकी संस्थानों (चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी सेन्टर्स, कैमिस्ट क्लीनिक्स एवम् कैमिस्ट शॉप्स, डिस्पैन्सरी) से जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। कतिपय चिकित्सालयों/चिकित्सकीय स्टॉफ को जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) का उचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से उत्पन्न जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) का उचित प्रकार से निस्तारण न होने के कारण कई प्रकार के संक्रामक एवम् असंक्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जोकि जन–स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक हानिकारक हैं।

Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (यथा–संशोधित 2016/2018) में सेग्रीगेशन का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत अलग–अलग अवशिष्ट पदार्थों को अलग–अलग रंगों की थैली में डाला जाता है, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया भी भिन्न–भिन्न है परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो पा रहा है जबकि संक्रमित जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) मुख्य रूप से लेबोरेट्री वेस्ट (ब्लड बैग्स, ब्लड सैम्पल, कल्चर डिस्क, कल्चर प्लेट, लैब कल्चर व अन्य) के सम्बन्ध में Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (यथा–संशोधित 2016/2018) व्यवस्था है कि प्री–ट्रीटमेन्ट हायपोक्लोराईड सॉल्यूशन/ऑटोक्लेव करके ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उक्त नियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि *"7- Untreated human anatomical waste, animal anatomical waste, soiled waste and, biotechnology waste shall not be stored beyond a period of forty–eight hours:*

Provided that in case for any reason it becomes necessary to store such waste beyond such a period, the occupier shall take appropriate measures to ensure that the waste does not adversely affect human health and the environment and inform the prescribed authority along with the reasons for doing so."

Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (यथा–संशोधित 2016/2018) उन समस्त संस्थानों/व्यक्तियों पर प्रभावी हैं, जो बायो–मेडिकल कचरे को एकत्र करने, उत्पन्न करने, प्राप्त करने, परिवहन करने व निस्तारित करते हैं अथवा इससे सम्बन्ध रखते हैं।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली–2015 की 12(2) में व्यवस्था की गयी है कि "यदि बिना रजिस्ट्रीकरण के नैदानिक स्थापन चल रहा हो या न्यूनतम उपबन्धित मानकों का पालन नहीं कर रहा हो या सन्देह हो, की नैदानिक स्थापन का उपयोग रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्यों से भिन्न कार्यों में किया जा रहा है या अधिनियम और नियमावली के किन्ही प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा हो, अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत किसी युक्तियुक्त समय पर प्राधिकरण द्वारा नैदानिक स्थापन में प्रवेश कर तलाशी ली जा सकती है। प्राधिकरण किसी भी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज, उपकरणों एवम् वस्तुएं, जो भी आवश्यक समझी जायें, का निरीक्षण कर सकेगा।" उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली–2015 के अन्तर्गत उल्लिखित न्यूनतम उपबन्धित मानकों में जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) भी सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 120/2016 अहमद नबी बनाम् राज्य सरकार के दिनाँक 14–08–2018 में निम्नवत् आदेशित किया गया है :–

> *"A. The State of Uttarakhand is directed to seal all the clinical establishments which are not registered under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 forthwith.*
>
> *B. The State Government is directed to ensure that all the clinical establishments registered under the Act 2010 follow the Operational Guidelines for Clinical Establishments Act as well as Clinical Establishment Act Standard for Hospital (Level 1A & 1B)."*

अतः उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली–2015 के अन्तर्गत न्यूनतम उपबन्ध मानकों (जिसमें जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) भी सम्मिलित है) को पूर्ण न करने पर उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली–2015 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों का मानक पूर्ण न किये जाने के कारण पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, तत्सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के उक्त आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम् भारत संघ में मा. प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 19–07–2016 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के समुचित अनुपालन हेतु निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

Scanned by CamScanner

"We hereby direct the State Government to impose an Environmental Compensation of Rs. 50,000 on each hospital which is not having complete arrangement for disposal and regular dumping of Bio Medical Waste in accordance with law with the Boi Medical Waste Rules 2016."

शासन के पत्र संख्या 439/X–3–19–15(24)/2014, दिनाँक 31 मई, 2019 के द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही जनपद स्तर में निहित कर दी गयी है।

अतः अक्त वर्णित चिकित्सकीय संस्थानों में जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) के उचित प्रबन्धन की स्थिति के निरीक्षण/विधिक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार परगना स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

(i) नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
(ii) सम्बन्धित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद नैनीताल।
(iii) सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त, स्थानीय निकाय, जनपद नैनीताल।
(iv) सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी, जनपद नैनीताल।
(v) सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी, जनपद नैनीताल।
(vi) क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी/नामित सदस्य।
(vii) सम्बन्धित औषधि निरीक्षक, जनपद नैनीताल।

यदि निरीक्षण में चिकित्सकीय संस्थानों में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित चिकित्सकीय संस्थानों/नैदानिकी संस्थानों के विरूद्ध उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली–2015, Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (यथा–संशोधित 2016/2018), मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 120/2016 अहमद नबी बनाम् राज्य सरकार के दिनाँक 14–08–2018, मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 200/2014 एम.सी. मेहता बनाम् भारत संघ में मा. प्राधिकरण द्वारा के आदेश दिनाँक 19–07–2016 एवम् शासन के पत्र संख्या 439/X–3–19–15(24)/2014, दिनाँक 31 मई, 2019 के अनुपालन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत नैदानिक संस्थानों (चिकित्सालय, चिकित्सा संस्थान, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी सेन्टर्स, कैमिस्ट क्लीनिक्स एवम् कैमिस्ट शॉप्स, डिस्पैन्सरी) एवम् पशु चिकित्सा संस्थान से जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) के उत्सर्जन के निस्तारण की प्रक्रिया की जाँच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक दशा में Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 (यथा संशोधित

Scanned by CamScanner

2016/2018) का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध उक्तानुसार वर्णित प्राविधानों/आदेशों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी एवम् सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति द्वारा किये गये निरीक्षण/कृत कार्यवाही साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(सविन बंसल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

दिनाँक : 10 अक्टूबर, 2019

पत्रांक : 866 /29–ए.आर.ए./2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1- मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
2- नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी।
3- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
4- समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, जनपद नैनीताल।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त, स्थानीय निकाय, जनपद नैनीताल।
6- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जनपद नैनीताल।
7- क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी, हल्द्वानी।

आज्ञा से,

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विधित ACMO's (Area wise) आवश्यक हेतु
Mr. Deepak Kandpal

15/10/19

Scanned by CamScanner

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की दिनांक 05.03.2019 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री युगल किशोर पन्त, अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री ए0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।
3. डा0 रवेन्द्र थपलियाल, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. डा0 गीतू शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. डा0 अभय कुमार, तकनीकी सलाहकार, एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

बैठक में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु चिकित्सा इकाईयों का निम्नवत् विवरण प्रस्तुत किया गया–

- राज्य में सरकारी चिकित्सा इकाईयों की संख्या निम्नवत् है–

क्र0सं0	चिकित्सा इकाई	संख्या
1	बड़े चिकित्सालय	53
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	85
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	259
4	स्टेट ऐलोपैथिक डिस्पेन्शरी	319
	कुल	716

- राज्य में कुल इन्डोर बैड की संख्या– 9076
- राज्य में वर्ष 2017–18 में कुल ओ0पी0डी0 7724120
- राज्य में वर्ष 2017–18 में कुल आई0पी0डी0 339940
- राज्य में वर्ष 2017–18 में Bed Occupancy rate 10.25 प्रतिशत
- समस्त जनपदों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेत जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन हो चुका है।
- कुल 6 जनपदों में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की प्रथम बैठक हो चुकी है।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केवल जनपद–हरिद्वार के रूड़की शहर एवं जनपद–ऊधमसिंह नगर के गदरपुर में ही स्थित है।
- राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन में पंजीकृत चिकित्सा इकाईयों की संख्या 169

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. राज्य में विस्तृत सर्वे किया जाये कि राज्य में कुल कितनी सरकारी एवं निजी चिकित्सा इकाईयों है, इनमें से कितनी चिकित्सा इकाईयां जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन में पंजीकृत है एवं इनमें कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट निकल रहा है, उक्त सर्वे हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया।

J.D (MC)
12/03/19
महानिदेशक
चि० स्वा० एवं प० क०
उत्तराखण्ड

Sh M.S Rawat
12/03/19

Scanned by CamScanner

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केवल जनपद–हरिद्वार के रूड़की एवं जनपद–ऊधमसिंह नगर के गदरपुर में ही स्थित है। बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्य योजना तैयार करेंगे तथा महानिदेशक उक्त कार्य योजना का संकलित करेंगे तथा इस हेतु जो धनराशि की आवश्यकता होगी उसे आगामी बजट में प्रस्तावित करेंगे।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 एवं समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी)

3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु समस्त चिकित्सा इकाईयों को पंजीकरण करवाया जाये तथा अधिकृत प्रमाण–पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपस में समन्वय स्थापित कर, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु समस्त चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु एक कार्य योजना तैयार करेंगे।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के जागरूकता हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून।)

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–2

संख्याः 301 /XXVIII–2–2018/01(25)2018
देहरादूनः दिनांक 5 मार्च, 2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादू।
4. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बैठक में उपस्थित उक्त वर्णित समस्त अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

5/3/19

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की दिनांक 05.03.2019 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

1. श्री युगल किशोर पन्त, अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।
3. डा0 रविन्द्र थपलियाल, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. डा0 मीत् शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. डा0 अभय कुमार, तकनीकी सलाहकार, एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

बैठक में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु चिकित्सा इकाईयों का निम्नवत् विवरण प्रस्तुत किया गया–

- राज्य में सरकारी चिकित्सा इकाईयों की संख्या निम्नवत् है–

क्र0सं0	चिकित्सा इकाई	संख्या
1	बड़े चिकित्सालय	53
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	85
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	259
4	स्टेट ऐलोपैथिक डिस्पेन्शरी	319
	कुल	716

- राज्य में कुल इन्डोर बैड की संख्या– 9076
- राज्य में वर्ष 2017–18 में कुल ओ0पी0डी0 7724120
- राज्य में वर्ष 2017–18 में कुल आई0पी0डी0 339940
- राज्य में वर्ष 2017–18 में Bed Occupancy rate 10.25 प्रतिशत
- समस्त जनपदों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेत जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन हो चुका है।
- कुल 6 जनपदों में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की प्रथम बैठक हो चुकी है।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केवल जनपद–हरिद्वार के रूड़की शहर एवं जनपद–ऊधमसिंह नगर के गदरपुर में ही स्थित है।
- राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन में पंजीकृत चिकित्सा इकाईयों की संख्या 169

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. राज्य में विस्तृत सर्वे किया जाये कि राज्य में कुल कितनी सरकारी एवं निजी चिकित्सा इकाईयों है, इनमें से कितनी चिकित्सा इकाईयां जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन में पंजीकृत है एवं इनमें कितना जैव चिकित्सा अपशिष्ट निकल रहा है, उक्त सर्वे हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया।

J.D (MC)
12/03/19
महानिदेशक
चि० स्वा० एवं प० क०

Clo M.S Rawat
10/3/19

Scanned by CamScanner

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केवल जनपद–हरिद्वार के रूड़की एवं जनपद–ऊधमसिंह नगर के गदरपुर में ही स्थित है। बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्य योजना तैयार करेंगे तथा महानिदेशक उक्त कार्य योजना का संकलित करेंगे तथा इस हेतु जो धनराशि की आवश्यकता होगी उसे आगामी बजट में प्रस्तावित करेंगे।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0 एवं समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी)

3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु समस्त चिकित्सा इकाईयों को पंजीकरण करवाया जाये तथा अधिकृत प्रमाण–पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपस में समन्वय स्थापित कर, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु समस्त चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु एक कार्य योजना तैयार करेंगे।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के जागरूकता हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(कार्यवाही महानिदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून।)

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–2

संख्याः 301 /XXVIII–2–2018/01(25)2018
देहरादूनः दिनांक 5 मार्च, 2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादू।
4. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बैठक में उपस्थित उक्त वर्णित समस्त अधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

5/3/19

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\bio medical board-1.doc

Scanned by CamScanner

(73)

मा0 एन.जी.टी. द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी की अध्यक्षता में गठित मानिटरिंग कमेटी की दिनांक 17.05.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 17.05.2019 को अपरान्ह 3:00बजे उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय में आहूत हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही।

1. न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी, पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय (समिति अध्यक्ष)।
2. श्री एस.पी. सुबुद्धि, सदस्य सचिव, यूईपीपीसीबी, देहरादून।
3. श्री चन्देश कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
4. डा0 धीरज पाण्डेय, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
7. श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग।
8. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
9. डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
10. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीशासी अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग।
11. श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निमार्ण विभाग।
12. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
13. डा0 एस.डी. सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
14. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस.पी.एम.जी. नमामि गंगे, देहरादून।
15. श्री कमल भट्ट, शहरी विकास विभाग।
16. श्री राजेश साती, पंचायती राज्य विभाग।
17. श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम।
18. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल।
19. श्री एच.आर. नौटियाल, सहायक निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये न्यायामूर्ति (सेवानिवृत्त) यू0सी0 ध्यानी द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पूर्व में दिनांक 19.04.2019 को आहूत बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र0सं0	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाईल नं0	ई–मेल आई.डी.
1	शहरी विकास विभाग	श्री रवि पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता	9837256961	directorudd@gmail.com
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक	7500111160	admcuk@gmail.com
3	पंचायती राज विभाग	श्री राजीव कुमार नाथ	9105906004	zpprakoshth@gmail.com

Scanned by CamScanner

		त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक		
4	परिवहन विभाग	श्री सुधाशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त	9760618399	transportdeptuk@gmail.com
5	पेयजल निगम	श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता	7830500401	upsvnn@gmail.com
6	जल संस्थान	श्रीमती निलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक	9411110575	cgm-js-ua@nic.in
7	सिंचाई विभाग	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता	7895530759	seiwcmkr@gmail.com
8	लोक निर्माण विभाग	श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता	9634336272	senh10@rediffmail.com
9	एस.पी.एम.जी.	श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ	7055300932	environment.spmguk@gmail.com
10	उद्योग विभाग	श्री एच.आर. नोटियाल, सहायक निदेशक	9412947231	nautiyalhr@gmail.com
11	सिडकुल	श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता	9412380142	sushilbhatt58@gmail.com
12	वन विभाग			बैठक में उपस्थित अपर सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही नोडल अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा।
13	खनन विभाग			नामित किया जाना है।
14	आवास–विभाग			नामित किया जाना है।

1. समिति अध्यक्ष द्वारा जिन विभागों से अभी तक नोडल अधिकारियों के नाम की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग के सचिवों के माध्यम से नोडल अधिकारी की सूचना प्राप्त की जाये। उपरोक्त तालिका में इंगित नोडल अधिकारी/विभाग यदि कोई संशोधन चाहते है तो बैठक की आगामी तिथि से पूर्व अवगत करा दे। साथ ही साथ **कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, आयुष/होम्योपेथी विभाग व आई.टी. विभाग के भी नोडल अधिकारियों की सूचना संकलित कर ली जाये।**

2. समिति अध्यक्ष द्वारा **ई–वेस्ट के सम्बन्ध** में विस्तृत चर्चा की गयी तथा ई–वेस्ट के पर्यावरणीय सुरक्षित तरीके से निस्तारण हेतु ठोस उपाय किय जाने पर जोर दिया गया। इस पर यह निर्णय हुआ कि विभिन्न विभागों द्वारा जो भी इलैक्ट्रोनिक वस्तुए यथा कम्प्यूटर, फैक्स, प्रिन्टर इत्यादि निष्प्रयोज्य किये जाते है उनको भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप निस्तारित किया जाये। इस कार्य हेतु **आई.टी.डी.ए. को नोडल विभाग बनाया जाये।** आगामी बैठक में आई.टी.डी. ए. को भी आंमन्त्रित किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं

Scanned by CamScanner

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत ई–वेस्ट रिसाईकलर्स की सूची आई.टी.डी.ए. को उपलब्ध करा दी जाये।

3. **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन** के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा सूचनायें संकलित की जा रही है जो कि आगामी बैठक तक समिति को उपलब्ध करा दी जायेगी। शहरी विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं प्लास्टिक प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत सभी नगर निकायों की वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाये। **कैन्ट बोर्ड** द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें **रक्षा सम्पदा विभाग, मुख्यालय मेरठ** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रक्षा सम्पदा विभाग के अधिकारीगणों को भी आगामी बैठक में आमन्त्रित किया जाये।

4. **प्लास्टिक अपशिष्ट** के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा लगाये गये 25 कम्पेक्टर में से 15 कार्य कर रहे है, जिससे एकत्रित प्लास्टिक को रिसाईक्लिंग हेतु भेजकर कुल रू 7570000/– का राजस्व एकत्रित किया गया है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि एकत्रित प्लास्टिक की मात्रा के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचनायें समिति को उपलब्ध करायी जाये।

5. **निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट** के सम्बन्ध में भी आकड़े एकत्र कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये। **Debris Management** के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा Debris Management Policy बनायी जा रही है, जो कि दिनांक 15.06.2019 तक शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पर कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में सूचित किया जाये।

6. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम** के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा वर्तमान तक 2643 शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों का अस्थाई पंजीकरण Clinical Establishment Act के अन्तर्गत किया जा चुका है, जिसको तभी स्थायी किया जायेगा जब चिकित्सालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर लेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत बनायी जाने वाली कलेन्डर वर्ष, 2018 की वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जा रही है, जो कि निर्धारित समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जायेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आकड़े वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में संकलित किये जायेगें। समिति द्वारा उक्त पर आगामी बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय हुआ कि आगामी बैठक में निदेशक, आयुष/होम्योपेथी एवं निदेशक, पशुपालन को भी आमन्त्रित किया जाये।

7. Model Cities/Towns/Villages के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि Model Cities/Towns/Villages की परिभाषा बनायी जाये तथा MSW प्रबन्धन के अतिरिक्त माडल के रूप में विकसित करने हेतु अन्य जो भी कार्य होने है, उनका चिन्हीकरण कर पूर्ण एक्शन प्लान बनाया जाये।

8. समिति के समक्ष श्री एस.डी. सिंह द्वारा मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के कम में **उपचारित सीवेज के पुनः प्रयोग** के सम्बन्ध में बात की गयी। जिसमें Re-use of Treated Sewage Plan के सम्बन्ध में अवगत

Scanned by CamScanner

कराया गया कि एस.पी.एम.जी. इस पर कार्य कर रहा है तथा एस.पी.एम.जी. को ही नोडल अधिकारी नामित किया गया। एस.पी.एम.जी. द्वारा इस सम्बन्ध में जो योजना बनायी गयी है उसकी प्रति समिति को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थापित सी.ई.टी.पी. द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग किये जाने हेतु Action Plan बनाये जाने के सम्बन्ध में सिडकुल को नोडल अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया।

9. Rejuvenation of Polluted River Stretches के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 17.05.2019 में पूर्वान्ह में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा उक्त हेतु बैठक में कतिपय संशोधनों के साथ कुल-04 Polluted River Stretches के Action Plans को अनुमोदित किया गया है।

10. Non-attainment Cities with respect to Air Quality के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति द्वारा काशीपुर एवं ऋषिकेश हेतु बनायी गयी कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है तथा बोर्ड द्वारा उक्त कार्य योजनाओं को दिनांक 26.04.2019 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य योजनाओं के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा आई.आई.टी., रूड़की को तकनीकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

11. **हरिद्वार क्लस्टर हेतु प्रदूषण रोकथाम के लिये कार्य योजना** बनाये जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि आई.आई.टी. रूड़की के साथ इस सम्बन्ध में बैठक कर ली गयी है। आई.आई.टी. रूड़की द्वारा उक्त कार्य करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। संस्थान द्वारा प्रथम चरण में हरिद्वार जनपद के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता के आंकलन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु शीघ्र ही प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। औद्योगिक विभाग को यह भी निर्देशित किया गया कि वे समस्त राज्य में बनाये गये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों (सरकारी व निजी) की जिलेवार सूची जिसमें उद्योगों का नाम व उनका प्रकार व प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार के पर्यावरणीय आधारभूत ढ़ांचागत सुविधायें उपलब्ध है, का विवरण उपलब्ध करायेगा।

12. मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के कम में राज्य में **अवैधानिक गाईनिंग** के प्रकरण पर समिति द्वारा वर्तमान तक खनन विभाग द्वारा कोई भी नोडल अधिकारी नियुक्त न किये जाने पर निर्देशित किया गया कि खनन विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना शीघ्र ही प्राप्त कर समिति को उपलब्ध करायी जाये, जिससे कि उक्त बिन्दु पर अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जा सके।

13. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** के रूप में प्राप्त धनराशि को प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया जाये कि उक्त धनराशि मुख्यतः मा0 एन.जी.टी. द्वारा उद्योगों पर आरोपित क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में व इस मद में प्राप्त की जानी वाली धनराशि उपयोग किये जाने हेतु Policy Document तैयार किया जाये।

Scanned by CamScanner

(69)

14. पर्यावरणीय जन जागरूकता के सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि एस.पी.एम.जी. व शहरी विकास विभाग उक्त कार्यवाही के लिये Strategic Action Plan तैयार कर लेगें तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगें।

15. राज्य के जल स्त्रोतों में पर्यारणीय प्रवाह के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल विघुत निगम लि0 के प्रतिनिधि को आगामी बैठक में बुलाये जाने हेतु सचिव, उर्जा उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध कर लिया जाये।

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

पत्रांक–यू0ई0पी0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / सा0–446 / 2019/1694-403 दिनांक 30/05/19

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू0सी0 ध्यानी / अध्यक्ष अनुश्रवण समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, राजपुर रोड़, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड़, देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू कालोनी, देहरादून।
9. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, उद्योग विभाग, पटेल नगर, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
13. अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14. निदेशक, आई.टी.डी.ए., आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक में अपने विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
15. अपर निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग, भोपालपानी रायपुर रोड़, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक में अपने विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(2648)
AD(me)
JD me
07/6/19
Sh M3 Rawat

Scanned by CamScanner

16. श्री चन्देश कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
17. डा0 धीरज पाण्डेय, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
18. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
19. श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
20. श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग।
21. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
22. डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
23. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीशासी अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग।
24. श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निमार्ण विभाग।
25. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
26. डा0 एस.डी. सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
27. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस.पी.एम.जी. नमामि गंगे, देहरादून।
28. श्री कमल भट्ट, शहरी विकास विभाग।
29. श्री राजेश साती, पंचायती राज्य विभाग।
30. श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम।
31. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल।
32. श्री एच.आर. नोटियाल, सहायक निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

मा0 एन.जी.टी. द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी की अध्यक्षता में गठित मानिटरिंग कमेटी की दिनांक 17.05.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 17.05.2019 को अपरान्ह 3:00बजे उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड मुख्यालय में आहूत हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही।

1. न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी, पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय (समिति अध्यक्ष)।
2. श्री एस.पी. सुबुद्धि, सदस्य सचिव, यूईपीपीसीबी, देहरादून।
3. श्री चन्देश कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
4. डा0 धीरज पाण्डेय, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. श्रीमती नीलिमा गंग, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
7. श्री सुधांशु गंग, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग।
8. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
9. डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
10. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीशासी अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग।
11. श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निमार्ण विभाग।
12. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
13. डा0 एस.डी. सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
14. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस.पी.एम.जी. नमामि गंगे, देहरादून।
15. श्री कमल भट्ट, शहरी विकास विभाग।
16. श्री राजेश सती, पंचायती राज्य विभाग।
17. श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम।
18. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल।
19. श्री एच.आर. नोटियाल, सहायक निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये न्यायामूर्ति (सेवानिवृत्त) यू0सी0 ध्यानी द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पूर्व में दिनांक 19.04.2019 को आहूत बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र0सं0	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाईल नं0	ई–मेल आई.डी
1	शहरी विकास विभाग	श्री रवि पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता	9837256961	directorudd@gmail.com
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक	7500111160	admcuk@gmail.com
3	पंचायती राज विभाग	श्री राजीव कुमार नाथ	9105906004	zpprakoshth@gmail.com

Scanned by CamScanner

		त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक		
4	परिवहन विभाग	श्री सुभाशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त	9760618399	transportdeptuk@gmail.com
5	पेयजल निगम	श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता	7830500401	upsvnn@gmail.com
6	जल संस्थान	श्रीमती निलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक	9411110575	cgm-js-ua@nic.in
7	सिंचाई विभाग	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता	7895530759	seiwcmkr@gmail.com
8	लोक निर्माण विभाग	श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता	9634336272	senh10@rediffmail.com
9	एस.पी.एम.जी.	श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ	7055300932	environment.spmguk@gmail.com
10	उद्योग विभाग	श्री एच.आर. नौटियाल, सहायक निदेशक	9412947231	nautiyalhr@gmail.com
11	सिडकुल	श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता	9412380142	sushilbhatt58@gmail.com
12	वन विभाग			बैठक में उपस्थित अपर सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही नोडल अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा।
13	खनन विभाग			नामित किया जाना है।
14	आवास विभाग			नामित किया जाना है।

1. समिति अध्यक्ष द्वारा जिन विभागों से अभी तक नोडल अधिकारियों के नाम की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग के सचिवों के माध्यम से नोडल अधिकारी की सूचना प्राप्त की जाये। उपरोक्त तालिका में इंगित नोडल अधिकारी/विभाग यदि कोई संशोधन चाहते है तो बैठक की आगामी तिथि से पूर्व अवगत करा दे। साथ ही साथ **कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, आयुष/होम्योपेथी विभाग व आई.टी. विभाग के भी नोडल अधिकारियों की सूचना संकलित कर ली जाये।**

2. समिति अध्यक्ष द्वारा **ई–वेस्ट के सम्बन्ध** में विस्तृत चर्चा की गयी तथा ई–वेस्ट के पर्यावरणीय सुरक्षित तरीके से निस्तारण हेतु ठोस उपाय किय जाने पर जोर दिया गया। इस पर यह निर्णय हुआ कि विभिन्न विभागों द्वारा जो भी इलैक्ट्रोनिक वस्तुए यथा कम्प्यूटर, फैक्स, प्रिन्टर इत्यादि निष्प्रयोज्य किये जाते है उनको भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप निस्तारित किया जाये। इस कार्य हेतु **आई.टी.डी.ए. को नोडल विभाग बनाया जाये।** आगामी बैठक में आई.टी.डी. ए. को भी आमन्त्रित किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं

Scanned by CamScanner

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत ई-वेस्ट रिसाईकलर्स की सूची आई.टी.डी.ए. को उपलब्ध करा दी जाये।

3. **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन** के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा सूचनायें संकलित की जा रही है जो कि आगामी बैठक तक समिति को उपलब्ध करा दी जायेगी। शहरी विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं प्लास्टिक प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत सभी नगर निकायों की वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 30.05.2019 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाये। कैन्ट **बोर्ड** द्वारा जनित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें **रक्षा सम्पदा विभाग, मुख्यालय मेरठ** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रक्षा सम्पदा विभाग के अधिकारीगणों को भी आगामी बैठक में आमन्त्रित किया जाये।

4. **प्लास्टिक अपशिष्ट** के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा लगाये गये 25 कम्पेक्टर में से 15 कार्य कर रहे है, जिससे एकत्रित प्लास्टिक को रिसाईक्लिंग हेतु भेजकर कुल रू 7570000/- का राजस्व एकत्रित किया गया है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि एकत्रित प्लास्टिक की मात्रा के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचनायें समिति को उपलब्ध करायी जाये।

5. **निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट** के सम्बन्ध में भी आकड़े एकत्र कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये। **Debris Management** के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा Debris Management Policy बनायी जा रही है, जो कि दिनांक 15.06.2019 तक शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त पर कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में सूचित किया जाये।

6. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम** के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा वर्तमान तक 2643 शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों का अस्थाई पंजीकरण Clinical Establishment Act के अन्तर्गत किया जा चुका है, जिसको तभी स्थायी किया जायेगा जब चिकित्सालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर लेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत बनायी जाने वाली कलेन्डर वर्ष, 2018 की वार्षिक रिपोर्ट संकलित की जा रही है, जो कि निर्धारित समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जायेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित किये जाने वाले आकड़े वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में संकलित किये जायेगें। समिति द्वारा उक्त पर आगामी बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय हुआ कि आगामी बैठक में निदेशक, आयुष/होम्योपेथी एवं निदेशक, पशुपालन को भी आमन्त्रित किया जाये।

7. Model Cities/Towns/Villages के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि Model Cities/Towns/Villages की परिभाषा बनायी जाये तथा MSW प्रबन्धन के अतिरिक्त माडल के रूप में विकसित करने हेतु अन्य जो भी कार्य होने है, उनका चिन्हीकरण कर पूर्ण एक्शन प्लान बनाया जाये।

8. समिति के समक्ष श्री एस.डी. सिंह द्वारा मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के क्रम में **उपचारित सीवेज के पुनः प्रयोग** के सम्बन्ध में बात की गयी। जिसमें Re-use of Treated Sewage Plan के सम्बन्ध में अवगत

Scanned by CamScanner

कराया गया कि एस.पी.एम.जी. इस पर कार्य कर रहा है तथा एस.पी.एम.जी. को ही नोडल अधिकारी नामित किया गया। एस.पी.एम.जी. द्वारा इस सम्बन्ध में जो योजना बनायी गयी है उसकी प्रति समिति को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थापित सी.ई.टी.पी. द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग किये जाने हेतु Action Plan बनाये जाने के सम्बन्ध में सिडकुल को नोडल अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया।

9. Rejuvenation of Polluted River Stretches के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 17.05.2019 में पूर्वान्ह में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा उक्त हेतु बैठक में कतिपय संशोधनों के साथ कुल–04 Polluted River Stretches के Action Plans को अनुमोदित किया गया है।

10. Non-attainment Cities with respect to Air Quality के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण समिति द्वारा काशीपुर एवं ऋषिकेश हेतु बनायी गयी कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है तथा बोर्ड द्वारा उक्त कार्य योजनाओं को दिनांक 26.04.2019 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा चुका है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य योजनाओं के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा आई.आई.टी., रूड़की को तकनीकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

11. **हरिद्वार क्लस्टर हेतु प्रदूषण रोकथाम के लिये कार्य योजना** बनाये जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि आई.आई.टी. रूड़की के साथ इस सम्बन्ध में बैठक कर ली गयी है। आई.आई.टी. रूड़की द्वारा उक्त कार्य करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। संस्थान द्वारा प्रथम चरण में हरिद्वार जनपद के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता के आंकलन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु शीघ्र ही प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। औद्योगिक विभाग को यह भी निर्देशित किया गया कि वे समस्त राज्य में बनाये गये औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों (सरकारी व निजी) की जिलेवार सूची जिसमें उद्योगों का नाम व उनका प्रकार व प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार के पर्यावरणीय आधारभूत ढ़ांचागत सुविधायें उपलब्ध है, का विवरण उपलब्ध करायेगा।

12. मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के क्रम में राज्य में **अवैधानिक माईनिंग** के प्रकरण पर समिति द्वारा वर्तमान तक खनन विभाग द्वारा कोई भी नोडल अधिकारी नियुक्त न किये जाने पर निर्देशित किया गया कि खनन विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना शीघ्र ही प्राप्त कर समिति को उपलब्ध करायी जाये, जिससे कि उक्त बिन्दु पर अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जा सके।

13. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** के रूप में प्राप्त धनराशि को प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया जाये कि उक्त धनराशि मुख्यतः मा0 एन.जी.टी. द्वारा उद्योगों पर आरोपित क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में व इस मद में प्राप्त की जानी वाली धनराशि उपयोग किये जाने हेतु Policy Document तैयार किया जाये।

Scanned by CamScanner

14. पर्यावरणीय जन जागरूकता के सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि एस.पी.एम.जी. व शहरी विकास विभाग उक्त कार्यवाही के लिये Strategic Action Plan तैयार कर लेगें तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगें।

15. राज्य के जल स्त्रोतों में पर्यारणीय प्रवाह के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल विघुत निगम लि0 के प्रतिनिधि को आगामी बैठक में बुलाये जाने हेतु सचिव, उर्जा उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध कर लिया जाये।

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

पत्रांक–यू0ई0पी0पी0सी0बी0 / एच0ओ0 / सा0–446 / 2019/1694-403 दिनांक 30/05/19

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू0सी0 ध्यानी / अध्यक्ष अनुश्रवण समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, राजपुर रोड़, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड़, देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू कालोनी, देहरादून।
9. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, उद्योग विभाग, पटेल नगर, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
13. अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
14. निदेशक, आई.टी.डी.ए., आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक में अपने विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
15. अपर निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग, भोपालपानी रायपुर रोड़, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आगामी बैठक में अपने विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(2648)
AD(me)
JD me
07/6/19
Sh. M.S. Rawat

Scanned by CamScanner

16. श्री चन्देश कुमार, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
17. डा0 धीरज पाण्डेय, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
18. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
19. श्रीमती नीलिमा गंर्ग, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
20. श्री सुधांशु गंर्ग, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग।
21. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
22. डा0 सुमन आर्य, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
23. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीशासी अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग।
24. श्री राजेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निमार्ण विभाग।
25. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग एवं आई.टी. विभाग।
26. डा0 एस.डी. सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
27. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस.पी.एम.जी. नमामि गंगे, देहरादून।
28. श्री कमल भट्ट, शहरी विकास विभाग।
29. श्री राजेश सती, पंचायती राज्य विभाग।
30. श्री वी.सी. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम।
31. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिडकुल।
32. श्री एच.आर. नोटियाल, सहायक निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी की अध्यक्षता में गठित मानिटरिंग कमेटी की दिनांक 19.04.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी, पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय (समिति अध्यक्ष)।
2. डा0 एस0डी0 सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. श्री राजेन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. डा0 आर0के0 पाण्डे, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, देहरादून।
7. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, देहरादून।
8. श्री नीरज जोशी, उप निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
9. श्री आर0के0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, देहरादून।
10. श्री डी0पी0 देवरानी, सलाहकार, पंचायती राज विभाग, देहरादून।
11. डा0 एस0पी0 रघुवंशी, वैज्ञानिक–डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
12. श्री राजेन्द्र कुमार, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
13. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
14. श्री सुशील भट्ट, अधिशासी अभियन्ता, सिडकुल, देहरादून।
15. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे, देहरादून।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी द्वारा सभी प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत करते हुये मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत दिनांक 07.03.2019 को निर्गत आदेशों की चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्गत निर्देश के बिन्दु सं0–27 एवं बिन्दु सं0–30 पर सभी उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा अपेक्षा की गयी कि सभी सदस्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों की गम्भीरता को समझते हुये यथोचित कार्यवाही करेंगे।

कमेटी की प्रथम बैठक की अनुपालन आख्या पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। बिन्दु सं0–2 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नामित न किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग दिनांक 30.04.2019 तक नोडल अधिकारी के सम्बन्ध में वांछित सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल (msukpcb@yahoo.com) के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायें। बैठक में उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, परिवहन विभाग एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि सभी नोडल अधिकारी विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित् करें। बिन्दु सं0–6 एवं 7 के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त स्थानीय निकायों से सूचनायें एकत्र की जा रही है तथा संकलित सूचनायें शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संकलित सूचनायें दिनांक 10.05.2019 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। बैठक में पंचायती राज विभाग को भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें एकत्र एवं संकलित कर दिनांक 10.05.2019 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार विचार–विमर्श कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :– अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुरूप Door to Door collection, Source segregation तथा Waste processing and disposal की व्यवस्था सुनिश्चित् करने हेतु निर्देशित किया गया। शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट के साथ–साथ प्लास्टिक अपशिष्ट तथा Construction and Demolition waste के सम्बन्ध में भी सूचनायें एकत्र की जा रही है, जिसे दिनांक 10.05.2019 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

issues पर भी विचार करना है। सम्बन्धित विभाग उपरोक्त बिन्दुओं पर भी अपने–अपने प्रस्ताव समिति की बैठकों से कम से कम एक सप्ताह पूर्व समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

8. अन्त में समिति की आगामी बैठक की अनन्तिम तिथि दिनांक 17.05.2019 अपरान्ह 11:00 बजे निर्धारित करते हुये सभी प्रतिभागियों के धन्यवाद ज्ञापित करते हुये सभागत की गयी।

(एस0पी0 सनुद्धि)
सदस्य सचिव।

अनुमोदित

Sd/–
न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी
पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय
अध्यक्ष, कमेटी

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46–बी0 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक–यू0ई0पी0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–456/2019/856–209 दिनांक ~~04.2019~~ 01/05/19

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, राजपुर रोड, देहरादून।
6. डा0 एस0डी0 सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड, देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू कालोनी, देहरादून।
9. अपर परिवहन आयुक्त, कार्यालय आयुक्त परिवहन, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, साहदरा, दिल्ली।
11. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. श्री राजेन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
13. श्री नीरज जोशी, उप निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड, देहरादून।
14. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
15. श्री डी0पी0 देवरानी, सलाहकार, पंचायती राज विभाग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
16. श्री आर0के0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
17. डा0 मीतू शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
18. डा0 आर0के0 पाण्डे, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
19. श्री सुशील भट्ट, अधिशासी अभियन्ता, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
20. डा0 एस0पी0 रघुवंशी, वैज्ञानिक–डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, साहदरा, दिल्ली।
21. श्री राजेन्द्र कुमार, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।
22. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, भोपालपानी, रायपुर रोड, देहरादून।
23. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे, 117, इन्दिरा नगर, देहरादून।

Sh. M S Rawat
1/5
1/05/19

सदस्य सचिव।

Scanned by CamScanner

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी की अध्यक्षता में गठित मानिटरिंग कमेटी की दिनांक 19.04.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. न्यायमूर्ति यू0सी0 ध्यानी, पूर्व न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय (समिति अध्यक्ष)।
2. डा0 एस0डी0 सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, नई दिल्ली।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. श्री राजेन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. डा0 आर0के0 पाण्डे, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, देहरादून।
7. डा0 गीतू शाह, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, देहरादून।
8. श्री नीरज जोशी, उप निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
9. श्री आर0के0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, देहरादून।
10. श्री डी0पी0 देवरानी, सलाहकार, पंचायती राज विभाग, देहरादून।
11. डा0 एस0पी0 रघुवंशी, वैज्ञानिक–डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
12. श्री राजेन्द्र कुमार, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
13. श्री मूल चन्द गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
14. श्री सुशील भट्ट, अधिशासी अभियन्ता, सिडकुल, देहरादून।
15. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे, देहरादून।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये न्यायमूर्ति (से0नि0) यू0सी0 ध्यानी द्वारा सभी प्रतिभागी अधिकारियों का स्वागत करते हुये मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत दिनांक 07.03.2019 को निर्गत आदेशों की चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्गत निर्देश के बिन्दु सं0–27 एवं बिन्दु सं0–30 पर सभी उपस्थित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा अपेक्षा की गयी कि सभी सदस्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों की गम्भीरता को समझते हुये यथोचित कार्यवाही करेंगे।

कमेटी की प्रथम बैठक की अनुपालन आख्या पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। बिन्दु सं0–2 पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नामित न किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग दिनांक 30.04.2019 तक नोडल अधिकारी के सम्बन्ध में वांछित सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल (nsukpcb@yahoo.com) के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायें। बैठक में उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, परिवहन विभाग एवं खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि सभी नोडल अधिकारी विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित् करें।

बिन्दु सं0–6 एवं 7 के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त स्थानीय निकायों से सूचनायें एकत्र की जा रही है तथा संकलित सूचनायें शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संकलित सूचनायें दिनांक 10.05.2019 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। बैठक में पंचायती राज विभाग को भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें एकत्र एवं संकलित कर दिनांक 10.05.2019 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–606/2018 के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बिन्दुवार विचार–विमर्श कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :– अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुरूप Door to Door collection, Source segregation तथा Waste processing and disposal की व्यवस्था सुनिश्चित् करने हेतु निर्देशित किया गया। शहरी विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट के साथ–साथ प्लास्टिक अपशिष्ट तथा Construction and Demolition waste के सम्बन्ध में भी सूचनायें एकत्र की जा रही है, जिसे दिनांक 10.05.2019 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

बैठक में कूड़े को जलाये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट :– चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत किया गया कि Clinical Establishment Act के अन्तर्गत 454 राजकीय चिकित्सालय तथा 1417 प्राईवेट चिकित्सालय पंजीकृत हैं, जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक सहमति और प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् स्थायी पंजीकरण निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के सुचारू अनुपालन का दायित्व चिकित्सा विभाग का है। सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को भी अधिकृत किया जाये जिस सम्बन्ध में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित् किया जा चुका है। बैठक में चर्चा के दौरान यह पाया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमों के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी बैठकों में निदेशक, पशुपालन विभाग को भी आमंत्रित किया जाये।

निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित बजट की व्यवस्था नहीं है। बैठक में विचार–विमर्श के दौरान यह पाया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राजकीय चिकित्सालयों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु समुचित फण्ड की व्यवस्था करें। निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर कमेटी को प्रस्तुत करें जिस पर आगामी बैठक में विचार–विमर्श किया जायेगा।

3. **Rejuvenation of Polluted River Stretches** :- सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि River Rejuvenation Committee (RRC) के अनुमोदन के उपरान्त सभी 09–Polluted River Stretches के एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित् कर दिये गये थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि एक्शन प्लान में Gap Analysis तथा Timeline का अभाव है। RRC द्वारा दिनांक 15.03.2019 को आयोजित बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों को Gap Analysis, Timelines & Budgetry requirements के साथ प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.05.2019 तक प्रेषित् करने हेतु निर्देशित किया गया। कमेटी द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि दिनांक 30.06.2019 तक आवश्यक रूप से एक्शन प्लानस् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किये जाने हैं अतः सभी विभाग दिनांक 10.05.2019 तक अपने–अपने प्रस्ताव RRC को उपलब्ध करायें।

4. **Non Attainment cities with respect to Air Quality** :- सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अगवत कराया गया कि राज्य के 02 शहर काशीपुर एवं ऋषिकेश शहरों के एक्शन प्लान दिनांक 04.04.2019 को आयोजित Air Quality Monitoring Committee (AQMC) की बैठक में प्रस्तुत किये गये। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एक्शन प्लान को संशोधित किया जा रहा है। बैठक में निर्देशित किया गया कि एक्शन प्लान्स को AQMC द्वारा अनुमोदित कर दिनांक 30.04.2019 से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवश्य प्रेषित् कर दिया जाये।

5. बैठक में श्री एस0डी0 सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–173/2018 सुदर्शन दास बनाम पश्चिम बंगाल एवं अन्य में दिनांक 04.09.2018 को निर्गत निर्देशों का अनुपालन राज्य सरकार को भी किया जाना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार–विमर्श निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु अपर निदेशक, खनन विभाग नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा आगामी बैठक में पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित रहेंगे।

6. बैठक में Debris Management Policy पर भी चर्चा की गयी।

7. अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में अवगत कराया गया कि कमेटी का कार्यक्षेत्र Policy related issues, Regulatory aspects and Infrastructural related

Scanned by CamScanner

(58)

Uttarakhand Environment Protection and
Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road, Kashipur,
Uttarakhand

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चामुण्डा कापलेक्स, रामनगर रोड, काशीपुर (उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/ROK/2019/सी-12/19/1009 दि 18/11/19

सेवा में,

महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड
डाण्ड लोखण्ड, पॉ0ऑ0–गुजराडा,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्रार्थना पत्र संख्या–710–712 ऑफ 2017 में पारित आदेशों के कम मे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के प्राविधानों के अनुपालन के संबंध।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने पत्रांक संख्या–19प/5/195/2001–IV/21761 दि0 01.11.19 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगें।

उक्त पत्र के अनुपालन मे चिकित्सालयों का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी व इस कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 14.11.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18/11/19

(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. डा0 अंकुर कंसल, (पर्यावरण अभियन्ता) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

8721
ADCMC/

20/11/19

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्रार्थना पत्र संख्या–710–712 ऑफ 2017 में पारित आदेशों के कम मे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में चिकित्सालयों का निरीक्षण दिनांक 14.11.2019 को डा0 हरेन्द्र मलिक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), कु0 मालती (वैज्ञा0 सहा0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय मॉनटरिंग की गयी। चिकित्सालयों की आख्या निम्नवत् है–

मै0 जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय रूद्रपुर उधमसिंहनगर

1 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया। निरीक्षण डॉ0 अजय की उपस्थिति में किया गया।

2 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को एकत्रित करने हेतु श्रेणी के अनुसार कलर बिन्स स्थापित है, किन्तु जिसमे जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकरण नही किया जा रहा है।

3 निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट अस्पताल परिसर के किनारे बने शौचालय मे एकत्रित व खुला पाया गया। उक्त के अतिरिक्त चिकित्सालय का जैव चिकित्सा अपशिष्ट काले रंग के बैग में शौचालय के बाहर बिखरा पाया गया।(फोटो संलग्न)

4 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु हाउस किपिंग व्यवस्था संतोषजनक नही पायी गयी।

5 चिकित्सालय द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के विवरण हेतु रजिस्टर मैंटेन नहीं किया हुआ पाया गया।

6 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु अलग से कक्ष की व्यवस्था नही की गयी

7 उक्त के अतिरिक्त चिकित्सालय का निरीक्षण पूर्व में भी किया गया जिसमें चिकित्सालय द्वारा वर्तमान तक कोई भी सुधार नही किया गया जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम–2016 का उल्लंघन हैं।

मै0 ओम हॉस्पीटल एंड मैटनरी रूद्रपुर उधम सिह नगर

1. निरीक्षण के दौरान उक्त चिकित्सालय संचालन में पाया गया। चिकित्सालय मे 16 बेड है।
2. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड बिन्स बायोहार्जडस सिम्बल युक्त नही पाये गये। न ही चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर पाया गया।
4. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकृत नही पाया गया। न ही चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट 48 धण्टे के भीतर सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.को निस्तारण हेतु दिया जा रहा है
5. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के विवरण हेतु रजिस्टर मैंटेन नहीं किया हुआ पाया गया।
6. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रण हेतु एक अलग से कक्ष की व्यवस्था नही की गयी है।
7. निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रति चिकित्सालय के स्टॉफ मे जागरूकता नही पायी गयी जो बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का उल्लंघन है।

Scanned by CamScanner

4 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
5 चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर पाया गया।
6 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रण हेतु एक अलग से कक्ष की व्यवस्था की गयी है।
7 चिकित्सालय द्वारा जनित द्रव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु ई0टी0पी0 कम एस0 टी0पी0 का निर्माण किया गया है

मै0 बी 0 डी पाठक रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1. निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया। निरीक्षण गुरूदेव सिंह की उपस्थिति मे किया गया। चिकित्सालय मे 30 बेड है।
2. निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड विन्स बायोहार्जडस सिम्बल युक्त पाये गये।
3. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकृत पाया गया।
4. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
5. चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर पाया गया।
6. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रण हेतु एक अलग से कक्ष की व्यवस्था की गयी है।
7. चिकित्सालय द्वारा जनित द्रव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु ई0टी0पी0 कम एस0 टी0पी0 का निर्माण किया गया है
8. चिकित्सालय को मार्च 2020 तक जल वायु सहमति तथा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया`।

मै0 प्रकाश आई हास्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया।
2 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड विन्स पाये गये। चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा के श्रेणी के अनुसूची के अनुसार पृथ्थकरण किया जा रहा है।
3 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
4 चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर पाया गया।
5 चिकित्सालय द्वारा जनित द्रव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु ई0टी0पी0 कम एस0 टी0पी0 का निर्माण किया गया है
6 चिकित्सालय को मार्च 2020 तक जल वायु सहमति तथा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया`।

Scanned by CamScanner

(56)

मै0 शुभम सर्जिकल चिकित्सालय रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया। चिकित्सालय मे 16 बेड है।
2 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड बिन्स बायोहार्जडस सिम्बल युक्त पाये गये।
3 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकृत पाया गया।
4 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
5 चिकित्सालय को मार्च 2020 तक जल वायु सहमति तथा बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार निर्गत किया गया।
6 चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर पाया गया।
7 चिकित्सालय द्वारा जनित द्रव अपशिष्ट निस्तारण हेतु ई0टी0पी0 कम एस0 टी0पी0 का निर्माण किया गया है
8 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रण हेतु एक अलग से कक्ष की व्यवस्था की गयी है।

मै0 महाराजा अग्रसेन चैरीटेवल ट्रस्ट रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1 चिकित्सालय में 100 वेड है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन में पाया गया। निरीक्षण पंकज सिंह की उपस्थिति में किया गया
2 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. से अनुबंध है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है
3 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड बिन्स बायोहार्जडस सिम्बल युक्त नही पाये गये और न ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकृत पाया गया।
4 चिकित्सालय द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के विवरण हेतु रजिस्टर मैंटेन नहीं किया हुआ पाया गया
5 चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर नही पाया गया।
6 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट नगर निगम के कूडेदान में जनरल वेस्ट के साथ पाया गया (फोटो संलग्न)
7 उक्त के अतिरिक्त चिकित्सालय का निरीक्षण पूर्व में भी किया गया जिसमें चिकित्सालय द्वारा वर्तमान तक कोई भी सुधार नही किया गया जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम–2016 का उल्लंघन हैं।

मै0 अमृत हॉस्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया। निरीक्षण डॉ अंकुर धवन की उपस्थिति मे किया गया। चिकित्सालय मे 50 बेड है।
2 निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड बिन्स बायोहार्जडस सिम्बल युक्त पाये गये।
3 चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट अनुसूची के अनुसार पृथ्थकृत पाया गया।

Scanned by CamScanner

(54)

मै0 लाइफ लाइन हॉस्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर

1. निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय संचालन मे पाया गया।
2. निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय द्वारा जनित बायोमेडिकल वेस्ट हेतु कलर कोडेड बिन्स पाये गये।
3. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट श्रेणी के अनुसूची के अनुसार पृथक्करण किया जा रहा है।
4. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रण हेतु एक अलग से कक्ष की व्यवस्था नही की गयी है।
5. चिकित्सालय द्वारा जनित शार्प वेस्ट हेतु पंचरप्रूफकंटेनर नही पाया गया।
6. चिकित्सालय द्वारा जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के माध्यम से किया जाता है जिसकी वैद्यता 31.03.2020 तक है

अतः उपरोक्त चिकित्सालयों में मै0 ओम हॉस्पीटल एंड मैटर्नरी रूद्रपुर, मै0 जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय रूद्रपुर उधमसिंहनगर, मै0 महाराजा अग्रसेन चैरीटेवल ट्रस्ट रूद्रपुर उधम सिंह नगर एवं मै0 लाइफ लाइन हॉस्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनजमेंट 2016 का अनुपालन नही किया जा रहा है। अवगत होना चाहे कि मै0 जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय रूद्रपुर उधमसिंहनगर, मै0 महाराजा अग्रसेन चैरीटेवल ट्रस्ट रूद्रपुर एवं मै0 लाइफ लाइन हॉस्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर चिकित्सालय का बायोमेडिकल वेस्ट मैनजमेंट 2016 का अनुपालन न किये जाने पर पूर्व में ही कारण बताओ नोटिस एवं माननीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के क्रम मे रू0 50,000/– अर्थदण्ड लगाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु बोर्ड मुख्यालय भेजी जा चुकी है

अतः उपरोक्त तीनो चिकित्सालय मै0 जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय रूद्रपुर उधमसिंहनगर, मै0 महाराजा अग्रसेन चैरीटेवल ट्रस्ट रूद्रपुर एवं लाइफ लाइन हॉस्पीटल रूद्रपुर उधम सिंह नगर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस/विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

वैज्ञा0 सहायक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Scanned by CamScanner

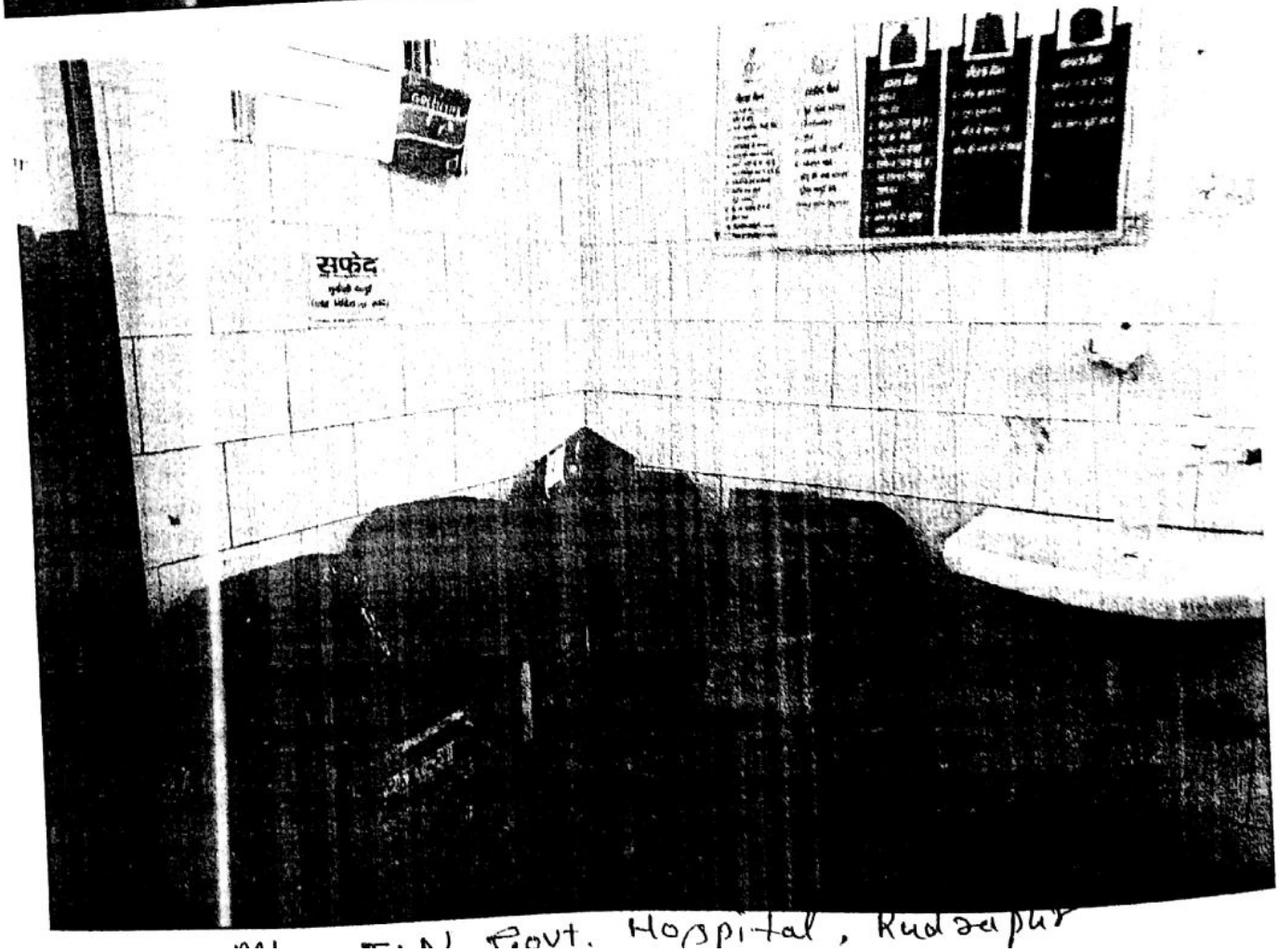

M.N. Govt. Hospital, Rudrapur

Scanned by CamScanner

...को जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभ...ार कक्ष में जैव प्रबंधन की जिला स्तरीय मोनिटरिंग समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

...पी0 जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
...न सिंह रावत, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी।
...डी0 बर्मन, मनोरोग चिकित्सक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
4. श्री एल0एस0 कुमाई सहायक अभियन्ता, जलसंस्थान, उत्तरकाशी।
5. श्री संदीप उनियाल, रेणुका समिति, मातली, उत्तरकाशी।
6. श्रीमती कुसुम राणा, नगर पालिका परिसद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।

कार्यवृत्त

बैठक का शुभारम्भ करते हुये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के अन्तर्गत गठित जिला अधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय मोनिटरिंग समिति के द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।

1. जिला स्तरीय मानेटरिंग समिति का गठन कर सदस्यों को नामित किया जाना।
2. नैदानिक स्थापनों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकरण।
3. नैदानिक स्थापन की जैव चिकित्सा अपशिष्ट के जनरेशन, ट्रीटमेंट तथा डिस्पोजल की सूचना का प्रकाशन।
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण।

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले में जिला स्तरीय मानेटरिंग समिति हेतु सदस्यों को नामित कर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त समिति का गठन करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी नैदानिक स्थापनों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाये।
3. जिन सरकारी नैदानिक स्थापनों में डीप बरियल विधि से अन्तिम निस्तारण किया जा रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत डीप बरियल हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से एक सप्ताह के भीतर अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
4. जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत प्रत्येक नैदानिक स्थापन की जैव चिकित्सा अपशिष्ट के जनरेशन, ट्रीटमेंट तथा डिस्पोजल की सूचना को समिति गठन होने के उपरान्त तीन दिवस के अन्दर प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट को नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर संयुक्त निरिक्षण कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. जिले में निजी नैदानिक स्थापना एक्ट के अंर्तगत पंजीकरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांक: जैवचि0अ0प्र0/2019-20/...

दिनांक: 15.11.2019

प्रतिलिपि: 1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, जलसंस्थान, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिसद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।
5. श्री संदीप उनियाल, रेणुका समिति, मातली, उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner

आदेश

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-2 के आदेश संख्या 745/XXVII-2/01(25)2018 दिनांक 01 नवम्बर 2018 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2018 की धारा-12(4) एवं 12(6) के अन्तर्गत जिला स्तरीय मोनिटरिंग समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है-

1. जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	–	सदस्य(सचिव) पदेन
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान	–	सदस्य
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	–	सदस्य
6. पंजीकृत स्वयं सेवी संगठन का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य का कार्यकाल नाम निर्दिष्ट होने की तिथि से 02 वर्ष होगी तथा बिन्दु संख्या-7 एवं 8 के अन्तर्गत उक्त सदस्यों का नामित किये जाने हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके सम्यक परीक्षणोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सदस्य नामित करते हुये अपने स्तर से अधिसूचित किया जायेगा।

उक्त समिति जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2018 की धारा-12(5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट 06 माह में एक बार राज्य सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेगी।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या [illegible] दिनांक 14 नवम्बर 2019

प्रतिलिपि उपरोक्त समिति गठित कर्तव्यनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner

दिनांक 31.07.18 को जनपद उधमसिंहनगर मे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के संबंध में आहूत बैठक का कार्यवृत।

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का काशीपुर द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 27.07.18 पर प्राप्त निर्देशानुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु संयुक्त उपचार सुविधा द्वारा किये जाने वाले पर्यावरणीय मानको के अनुपालन एवं जनपद उधमसिंहनगर जिला चिकित्सालय द्वारा जनपद के शासकीय चिकित्सालयों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार निस्तारण हेतु भस्मक लगाये जाने हेतु दि0 31.07.18 को बैठक आहूत की गयी। बैठक मे मुख्य चिकित्साधिकारी रूद्रपुर,क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर प्रमुख अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू जिला हास्पिटल रूद्रपुर व जनपद मे संचालित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन, गदरपुर, के पार्टनर श्री विरेन्द्रर दीप सिंह उपस्थित रहें। बैठक मे उपस्थित समस्त प्रतिभागीयों की सूची संलग्न है। बैठक मे प्रकाश के लाये गये बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

(भाग–अ)

मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन खसरा नं.–560 ग्राम– लम्बाखेडा, खानपुर गदरपुर उधमसिंहनगर की जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा व जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण मे पाये गये पर्यावरणीय मानको के उल्लंघन व अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन एक निजी संस्था है। जिसके द्वारा कुमाऊँ मण्डल के अधिकांश क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य अनुरक्षण सुविधा (चिकित्सालयो) से जैव चिकित्सा अपशिष्ट को एकत्रित कर उपचारित व निस्तारित किया जाता है। **वर्ष 2016 मे जन शिकायत के दृष्टिगत इस संस्था के द्वारा पर्यावरणीय मानको का उल्लघंन पाया गया, जिसमे मुख्यतः भस्मक का सुचारू रूप से संचालन न करना व भस्मक का उच्चीकरण किया जाना था, तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट को इसमे निस्तारित न कर अन्यत्र निस्तारित किया जाता था।** इस पर बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण के आदेशों के कम में संस्था पर रू0 50000/– का अर्थदण्ड लगाया गया। पुनः उक्त संस्था के निरीक्षण मे पायी गयी कमियों के दृष्टिगत अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अर्न्तगत बंदी आदेश निर्गत हुये। तदोपरान्त हुए निरीक्षण मे मुख्यतः तीन कमियॉ पायी गयी।

1. मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन एक लोकल मेड भस्मक उपयोग कर रहा है, जिसमे मैन्युयल Fedding की जा रही थी। जिसको स्वचलितभस्मक से अपग्रेड कया जाना है, जो अभी तक नही किया गया है।
2. जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रित कर परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए जी.पी.एस. सिस्टम लगवाये जाने तथा उपचार के लिए एक लॉग बुक बनाये जाने की सूचना बोर्ड को उपलब्ध नही करायी गयी है।
3. भस्मक की चिमनी पर वायु उत्सर्जन मापने हेतु **Real Time Monitoring System** की **Connectivity** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नही दी गयी है।

Scanned by CamScanner

उक्त रिपोर्ट पर अध्यक्ष बोर्ड द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के बंद हो जाने पर क्षेत्र मे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः अध्यक्ष बोर्ड आदेशानुसार Non-Complinace के दृष्टिगत संस्था के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराधिक शिकायत राक्षम न्यायालय मे दायर की गयी है।

मै0 ग्लोबल इन्वायरनमेन्टसोल्यूशन द्वारा अवगत गया है कि अभी स्वचलित इन्सीनिरेटर का कार्य प्रगति पर है जोकि 10 से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण हो जायेगा। उनके द्वारा वाहनों को ट्रैक करने के लिए जी.पी.एस. सिस्टम लगवाये जा चुके है भस्मक की चिम्नी पर Real Time Monitoring System भी लगाया जा चुका है। उक्त दोनो का Connectivity केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

बैठक मे यह निर्णय लिया गया है चूंकि संस्था के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जिस पर दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी निम्नानुसार गठित कमेटी 15 दिन के अन्दर मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन का निरीक्षण कर निर्देशों का अनुपालन न किया होना पाये जाने पर विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे समिति के अन्य सदस्यो से समन्वय कर निरीक्षण की तिथि क्षेत्रीय अधिकारियो द्वारा तय की जायेगी।

1. उपजिलाधिकारी गदरपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर।
3. मुख्य अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल रूद्रपुर।

(भाग–ब)

<u>जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर द्वारा जनपद के शासकीय चिकित्सालयों के जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु भस्मक की स्थापना के संबंध मे।</u>

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल रूद्रपुर द्वारास्वंय की जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि इन्सीनिरेटर लगाने के लिए भारत सरकार की मार्ग दर्शिका के अनुरूप Pre-requisite Requirment निम्नानुसार है।

(क). न्यूनतम 01 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, यदि यह कार्य नगर निकाय क्षेत्र मे किया जाना प्रस्तावित है तो न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।

(ख). पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। यद्यपि यह स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से प्राप्त की जानी होती है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य मे वर्तमान मे उक्त प्राधिकरण न होने के कारण यह स्वीकृति भारत सरकार से ली जानी है। उक्त स्वीकृति हेतु Quality Control of India (QCI)Empanelled Sector Specific Expert के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका विवरण QCI की वैबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

मै0 ग्लोबल इन्वायरमेन्ट सोल्यूशन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार 75Km की त्रिज्या मे कोई दूसरी जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा नही होगी। इस संबंध मे यह पाया गया है कि चूँकि 75Kmकी बाध्यता Bio Medical Waste Management Rules 2016 मे नही है, यह प्रावधान मात्र जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की Guideline मे ही है। अतः जिला अस्पताल रूद्रपुर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार मे Waste Assessment करते हुए उचित Justificationके साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए Term of Reference (ToR) प्राप्त कर सकते है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गयी की सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जनपद मे उक्त कार्य हेतु भूमि के चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र कर ली जाय एवं यह भी निदेशित किया गया कि इसके साथ-साथ भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु Quality Control of India (QCI)Empanelled Sector Specific Expert से सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर ली जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल रूद्रपुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जनपद के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा के साथ जुडने मे असमर्थ है,क्योकि इनमे Occupancy बहुत कम होती है साथ ही साथ मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन द्वारा Waste Treatment शुल्क अधिक है। मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सरकारी अस्पतालों से रू9/- प्रति बैड व प्राइवेट अस्पतालो से रू12/- प्रति बैड चार्ज किया जाता है। जिस पर बताया गया कि सरकारी अस्पताल काशीपुर से रू0 33000/- प्रतिमाह और सरकारी अस्पताल रूद्रपुर से रू0 35000/- प्रतिमाह लिया जा रहा है (कुल-रू0 68000/-) जिसमे ब्लड बैंक सम्मिलित नही है। उक्त दरें उत्तर प्रदेश से ली जा रही दरों से काफी कम है।

जिला अस्पताल रूद्रपुर के अधिकारियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन से जोडने की बात कही गयी तथा दरों को कम करने के लिए भी कहा गया। जिसमे जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा अवगत कराया गया कि दूरवर्ती क्षेत्रों मे यातायात की समस्या के कारण दरें ज्यादा होती है।

जनपद के समस्त उपकेन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र /अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,जन चिकित्सा केन्द्र एंव जिला चिकित्सालय में जैव चिकित्सा अवशिष्ट के निस्तारण का आवश्यक होना मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया अधोहस्ताक्षरी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया की जनपद के उपरोक्त समस्त स्वास्थ्य केन्द्रो/चिकित्सालयो के जैव अपशिष्ट का निस्तारण मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन द्वारा करवा लिया गया जाये जबतक की राजकीय चिकित्सालयो में स्वय का कोई अपशिष्ट शोधन केन्द्र स्थापित नही हो जाता। इस सम्बन्ध में समस्त पक्षो द्वारा सहमति व्यक्त की गयी मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन के प्रतिनिधियों द्वारा इस हेतु एक लाख पचास हजार रुपये प्रति माह की धनराशि निर्धारित किये जाने की अपेक्षा की गयी इस सम्बन्ध में अन्तिम रुप से इस बिन्दु पर सहमति बनी की चूकि उपकेन्द्रो में सप्ताह में एक दिन ही बहुत थोडा जैव अपशिष्ट जनित होता है केन्द्रो के अपशिष्ट को सम्बन्धित ए0एन0एम0/कर्मचारी द्वारा अगले दिन ही निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार पहुचाया जायेगा और स्वास्थ्य केन्द्रो/चिकित्सालय में मै0

Scanned by CamScanner

मै इन्वारमेन्ट सोल्यूशन द्वारा एक दिन छोड़कर समस्त जैव चिकित्सा अवशिष्ट एकत्र कर निस्तारित किया जायेगा। प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे का विवरण तैयार कर एक पंजिका में सुरक्षित रखा जायेगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गयी उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर विचार करते हुये उपरोक्तानुसार धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट की आवश्यक्तानुसार मांग व वितरण के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अवगत करायें ताकि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार जैव चिकित्सा अवशिष्ट निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 में निर्देष्ट है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 48 घण्टे में Transport कर उपचार हेतु ले जाना है, परन्तु विशिष्ट स्थिति में उक्त अपशिष्ट को Disinfect कर 48 घण्टे से ज्यादा समय तक भण्डारित किया जा सकता है। जिसकी सूचना उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

(जगदीश चन्द्र काण्डपाल)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/नजूल),
उधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
कार्यालय दूरभाष 05944-250404, कार्यालय फैक्स 05944-250408 Email Id:- dmusn.1995@gmail.com

पत्र संख्या ८५३२ /न्याय अनु0-7(25)/2018 दिनांक 06.08.2018

प्रतिलिपि--

1. जिलाधिकारी महोदय, उधमसिंहनगर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी बाजपुर, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रमुख अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल रुद्रपुर उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मै0 ग्लोबल इन्वारमेन्ट सोल्यूशन लम्बाखेड़ा, खानपुर, गदरपुर, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
उधम सिंह नगर।

Scanned by CamScanner

दि0 13.05.2019 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धक की जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपरोक्त के कम में शासन के पत्रसं0–1745 / XX8-2/01(25)2018 दिनांक 01.11.2018 के सन्दर्भ में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धक की जिला स्तरीय समिति की बैठक में निम्न सदस्यों सहित प्रतिभाग किया गया–

1. श्री नितिन सिंह भदौरिया, जिलाधिकारी, अल्मोडा । — अध्यक्ष (पदेन)
2. डा0 विनिता शाह, मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोडा । — सदस्य (सचिव)(पदेन)
3. डा0डी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी,राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड हल्द्वानी। — सदस्य
4. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अल्मोडा। — सदस्य (पदेन)
5. डा0 दिपांकर डेनियल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा। — सदस्य
6. डा0 एन0एस0चौहान, सदस्य भारतीय चिकित्सा संघ शाखा अल्मोडा। — सदस्य
7. सुश्री वसुदा पंत, सचिव ग्रीन हिल्स क्रान्ति बुटीर, अल्मोडा। — सदस्य
8. श्री राजवीर राणा, विभागीय अवर अभियन्ता। — सदस्य

- पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले–पहले प्रारूप–4 भरा जाना अनिवार्य है। सरकारी / गैरसरकारी चिकित्सालयों को पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण करने हेतु प्रारूप–2 भरा जाना है एवं रिन्यूवल हेतु भी प्रारूप–2 ही भरा जायेगा।
- पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रारूप–4- में भेजी गई रिर्पोट सही नहीं पाई गई है। जो कि पुनः प्रारूप -4 को संशोधित कर पुनः प्रेषित किया जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा ईकाईयों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने चिकित्सलयों / चिकित्सा ईकाईयों की सूचना प्रारूप–4 पर संशोधित रिर्पोट पुनः दिनांक 25.05.2019 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि एयर एवं वाटर प्रदूषण के लिए भी प्रारूप–2 बेबसाइट से डाउनलोड कर भरा जायेगा।
- पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त चिकित्सा ईकाईयों में एस0टी0पी0 एंव ई0टी0पी0 आवश्य होनी चाहिए।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा द्वारा पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया है कि शासकीय चिकित्सालयों का जैव अपशिष्ट का निस्तारण डीप बैलियंर विधि द्वारा ही किया जा रहा है।
- विकासखण्डों में उपलब्ध प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से प्राप्त जैव अपशिष्ट को सम्बन्धित सामु0स्वा0 केन्द्रों / प्रा0स्वा0केन्द्रों / रा0एलो0 चिकित्सालयों में निस्तारण किया जाना उचित होगा।

Scanned by CamScanner

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोडा द्वारा सदस्य भारतीय चिकित्सा संघ शाखा अल्मोडा को अवगत कराया गया है कि गैर सरकारी चिकित्सालयों का पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा गैर सरकारी चिकित्सालयों से प्राप्त जैव अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार किया जाए।

- जिला अधिकारी महोदय अल्मोडा को अवगत कराया गया है कि जनपद स्तर में इनसीलेटर की सुविधाए उपलब्ध नहीं है। जिला अधिकारी द्वारा इनसीलेटर सम्बन्धित आवश्यक जानकारी हेतु डा0 दीपाकर डैनियल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 28.05.2019 की बैठक हेतु इनसीलेटर सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर अवगत करावें।
- जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि दिनांक 28.05.2019 की बैठक हेतु ग्लोबल फर्म, गदरपुर/रूद्रपुर को बैठक में उपस्थित होने हेतु डा0 दीपाकर डेनियल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों/मुख्य चिकित्सा अधिक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण शुल्क अधिक होने के कारण जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि शासकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क हेतु शासन को अपने स्तर से पत्र जारी करने की कृपा किजियेगा।

(डा0 विनिता शाह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
पत्रांकः–नि0अनु0/2019–20 दिनांकः–15.05.2019

प्रतिलिपिः–निम्न समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. डा0 डी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी,राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी।
2. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अल्मोडा।
3. डा0 दिपांकर डेनियल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
4. डा0 ललित पंत, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ शाखा ग्राम–गैणी पंचगांव पो0हवालबाग, अल्मोडा।
5. सुश्री वसुदा पंत, सचिव ग्रीन हिल्स क्रान्ति कुटीर, ईस्ट पोखरखाली अल्मोडा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोडा।

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

पत्रांकः–नि0अनु0/2019–20 दिनांकित।

1. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला/बेस चिकित्सालय, अल्मोडा।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोडा/नागरिक चिकित्सालय, रानीखेत।
3. समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र, अल्मोडा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोडा।

Scanned by CamScanner

(44)

दिनांकित।

-नि0अनु0 / 2019–20
लिपिः– जिला अधिकारी, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोडा।

दिनांकित।

पत्रांकः–नि0अनु0 / 2019–20 2267-89
प्रतिलिपिः–महानिदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोडा।

Ag/mes
21/5/19

JD
22/5/19

Sh. M S Rawat
22/05/19

Scanned by CamScanner

माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गुल आवेदन संख्या 606/2018 compliance of Municipal solid waste के पारित आदेश के क्रम में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपरोक्त क्रम में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 177/दस–3–19–15(14)/2019, दिनांक 02 मार्च, 2019 के सन्दर्भ जिला स्तरीय बैठक प्रत्येक दशा में दिनांक 05.03.2019 को कर दिनांक 05.03.2019 के अपरान्ह तक अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के क्रम में जिला स्तरीय समिति बैठक करने हेतु सभी समिति सदस्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों को दूरभाष पर सूचित किया गया। बैठक दिनांक 05.03.2019 में समिति सदस्यों सहित निम्न-अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री नितिन सिंह भदौरिया, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा – अध्यक्ष
2. श्री कमल राम आर्या, पुलिस उपाधीक्षक – सदस्य
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड – सदस्य
4. डा0 ए0के0 सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी
5. डा0 दीपांकर डेनियल, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
6. श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
7. श्री संजय कुनियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिलियानौला(रानीखेत)
8. श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, द्वाराहाट
9. श्री महेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक, नगर प्रयोगशाला, गिविकियासैंण

1– समिति द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2016 में निहित प्राविधानों एवं माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश का उपस्थित अधिकारियों के साथ उक्त के अनुपालन हेतु एवं विचार विमर्श किया गया। सर्वप्रथम नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,2016 में निहित प्राविधानों पर अवलोकन किया गया। उक्त नियम के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत स्थित समस्त छः निकायों (नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा /चिलियानौला(रानीखेत)/नगर पंचायत, द्वाराहाट/गिकियासैंण/छावनी परिषद, अल्मोड़ा /रानीखेत) द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ के Door to Door Collection, Segregation ,Transportation एवं ट्रचिंग ग्राउन्ड में वैज्ञानिक विधि से अन्तिम निस्तारण पर विचार–विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,2016 के अन्तर्गत वर्तमान तक की गयी कार्यवाही/प्रगति के विवरण से अवगत कराया गया।

1– नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा– नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा द्वारा बल्दोटी स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड में 0.9 हैं0 भूमि वन विभाग द्वारा हस्तान्तरण की गई है। ई0आई0ए0 की कार्यवाही पालिका द्वारा की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन लगभग 6.5 टन कूडा उत्पन्न होता है, जो बल्दोटी स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड में निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा में कुल 13 वार्ड है, जिनमें से 11 वार्डो में डोर टू डोर कूडा संग्रहण पृथक–पृथक किया जा रहा है। वर्ष 2018 के

Scanned by CamScanner